

वादी सुनी गयी वास्ते आदेश  
पत्रावली दिनांक 22/3/2024 को  
पेश हो।

2024 पत्रावली वास्ते निर्णय। आदेश पेश  
हुई। वकील वादी द्वारा वाफपत्र  
रिकार्ड दुरुस्ती के बिन्दुओं को  
हैंदराते हुये निवेदन किया कि  
तहसीलदार गीमकाथाना से रिपोर्ट  
प्राप्त हो चुकी है रिकार्ड दुरुस्ती  
का आदेश प्रदान किया जावे।

वकील वादी को ध्यानपूर्वक सुना  
गया पत्रावली एवं रिपोर्ट पटवारी  
हल्का पीथमपुरी का अवलोकन  
किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी  
हल्का के वादीगण का कब्जा संबन्धी  
प्रकरण जाहिर होता है रिकार्ड दुरुस्ती  
का एक सीमित क्षेत्र है जिसमें  
लिपीकेस जुटि ही दुरुस्त की जा  
सकती है।

(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी

गीमकाथाना (राज.)



तारीख  
हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व  
जो  
तारीख

अतः वादीगण का वादपत्र वाकल  
रिकार्ड फुरुस्ती का होना प्रमाणित  
नही होता है।

अतः वादीगण का वादपत्र वाकल  
रिकार्ड फुरुस्ती खारिज किया जाता  
है पत्रावली कैलल शुमार होकर  
नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल  
है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया



(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (राज.)